विभागीय पोर्टल पर नगरीय क्षेत्रों हेतु उचित दर दूकान के अनुबन्ध हेतु आवेदन

↓

जिला पूर्ति अधिकारी अपने लॉगिन से मृतक आश्रित, स्वयं सहायता समूहों एवं फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये जाने वाली दुकानों को छोडकर अन्य दुकानों में आरक्षण एवं रिक्त की दिनांक आदि की फ्लैगिंग करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी अपने लॉगिन से उचित दर विक्रेता के चयन हेतु समाचार पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापन वाले दिन ही उक्तानुसार फ्लैग्ड रिक्त दुकानो के सापेक्ष विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन खोलेंगे। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रकाशित करायी जायेगी।

↓

उचित दर दुकान के लिए इच्छुक व्यक्ति शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार, निवास, आरक्षण, एस0पी0 / डी0एम0 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र अथवा आवेदन की पावती रसीद, परिवार के किसी भी सदस्य के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत न होने सम्बन्धी शपथपत्र, वार्ड के सभासद का परिवारिक सदस्य न होने सम्बन्धी शपथपत्र, अभ्यर्थी के बैंक खातें में कम से कम 40,000/– रूपय उपलब्ध होने सम्बधी प्रमाण अभिलेखों के साथ विभागीय वेबसाइट से अथवा जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन लॉटरी वाले दिन तक कर सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लॉटरी से पूर्व ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन कराया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदनो से अर्ह–आवेदन पत्रों को छॉटकर उनकी अलग सूची तैयार कर आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करायी जायेगी।

↓

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अपने लागिन से चयन समिति की बैठक की तिथि आनलाइन निर्धारित की जायेगी, जिसकी सूचना सभी अभ्यर्थीयों को एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित की जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से अर्ह आवेदकों को लिखित तौर पर सूचित कर प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखी जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी के समक्ष (चयन समिति के अध्यक्ष) लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें अर्ह आवेदक भी उपस्थित हों। यदि कोई आवेदक उपस्थित न हो तो उसे सूचित करने की रसीद प्रस्तुत कर उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाही की जाएगी। शासनादेशानुसार लॉटरी से चयनित अभ्यर्थी पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए डिजिटल हस्ताक्षर कर नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन आवेदन खुलने के 01 माह के भीतर पूर्ण की जानी है।